



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 01 अक्तूबर, 2024 / 09 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

1. कृषि

संख्या : **Shram(A)4-1/2024**.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2024** से 141-राजपत्र / 2024-01-10-2024 (6613)

संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से 400 रुपए प्रतिदिन या 12,000 रुपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी.—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जन जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी:-

(i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(प्रियंका बासु ईगटी),

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

1. AGRICULTURE

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. **400** per day or Rs. **12,000** per month *w.e.f.* **01-04-2024**.

NOTE :—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:—

(i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or

previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

2. सड़कों का निर्माण या रख-रखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

संख्या: Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सड़कों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2024** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **20-06-2024** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी **01-04-2024** से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2024** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
<u>भिशती/चिमनीक्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्पररग्रेड-II/गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/बिटुमन के लिए स्प्रे</u>	400	12000

मैन/पाइप लाईन मैन / इलैक्ट्रिकल कुली / सिक्वोरिटी-गार्ड / बेलदार/ क्लीनर ट्रेक्टर एव रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/सर्वे बॉय/वाचमैन/टी बॉय/पीअन (चपरासी)/ड्रेसर/ आयल मैन/ग्रीसर/मैस हेल्पर्ज/बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) / खलासी (0 से 3 साल)/ बल डिस्ट्रीब्यूटर/मक्कर ।

अर्धकुशल कर्मकार:

कारपेन्टर ग्रेड-॥/मैसन ग्रेड-॥/स्यूअर मैन/ब्लैक स्मिथ ग्रेड-॥/सैनिटरी फिटर ग्रेड-॥/पेन्टर/मैल्टर मेट/सप्रे-मैन रोडज/क्रेन-मैन/बधाणी/अपहोलस्टर/फिटर एटैन्डेन्ट/ब्लैक स्मिथ (बोट मैन)/क्रेन-मैन/डिस्टैम्पर ग्रेड-॥/फिटर ग्रेड-॥ फलोर-पालिशर/स्टोन ड्रेसर/माली/वल-सिंकर/ वहाइट-वाशर/वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-॥, टर्नर-ग्रेड-॥/ पाइप फिटर ग्रेड-॥/ब्रिक मोल्डर/सहायक फिटर/सहायक फायर मैन सहायक वैलडर/सहायक टर्नर/बैटरी चार्जर/ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी)/हैमरमैन/कुक/वल्कनार्डजर/नोजल मैन/ टनल मैन/एलॉए ट्रौली आपरेटर/एटैन्डेन्ट(स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट/टनल जुबली मैन/टनल-मैन/ हैल्पर (5 साल और इससे अधिक)/आयल-क्लीनर/नावगाणी/ मेट/हैड-वाचमैन/सहायक-लैवलर/खलासी (3 से 8 साल)/ स्टोन-ड्रेसर/पम्प-एटैन्डेन्ट/औटा इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-॥ / गार्डनर/गेज-रीडर/सहायक लैव एटैन्डेन्ट/औटो इलैक्ट्रीशियन /मोटर-मेट/इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट/टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ स्टोन-डैशर

रुपए रुपए

425 12,750

स्टोन-ब्रेकर / राक कौरियर ब्रेकर / स्टोन-क्रेशर

1/2 इंच से 2 इंच
2372 रुपए प्रति सौ घन फुट
1 इंच से 1 1/4 इंच रुपये 2646 रुपए
प्रति सौ घन फुट

कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड-॥/ मैसन ग्रेड-॥/ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड-॥/अप-होलसल्टर ग्रेड-॥/सहायक पम्प ओपरेटर/पम्प ओपरेटर/पम्प ड्राइवर/चार्जमैन ग्रेड-॥/जल आपूर्तिफिटर कारपेन्टरग्रेड-॥/काम्प्रेसर आपरेटर/काम्प्रेसर ड्राइवर/दर्जी या टेलर ग्रेड-॥/दर्जी या टेलर ग्रेड-॥/क्रशर ड्राइवर/अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर/पलम्बर ग्रेड-॥ /पाइप फिटर ग्रेड-॥/आटो ड्राइवर /सहायक मकैनिक/मिक्सर ड्राइवर/मिक्सर-आपरेटर/संरचानात्मक फिटर ग्रेड-॥ /वर्कशाप फिटर/जनरेटर आपरेटर/जनरेटर-ड्राइवर/प्लांट शाप फिटर/डीजल इंजन फिटर/ट्राली लाइन फिटर/क्रशिंग प्लांट फिटर/(बी0) प्लांट फिटर/जैक हैमर फिटर इलेक्ट्रीकल फिटर/बन्च फिटर/शेपर/आटो फिटर/पाइप लाइन फिटर/ रेफ्रीजेरेटर प्लांट फिटर/ट्रेक्टर-आपरेटर/शाफ्ट माइनर/ कोचरिंग आपरेटर/डोजर आपरेटर/रोकलेन आपरेटर/ सक्केपर-आपरेटर/लोडर आपरेटर/क्रेन-आपरेटर/ युकलिड-आपरेटर/वैगन ड्रिलआपरेटर/बोरिंग-आपरेटर/

रु0 रु0
464 13ए920

एस.एल.डी. केन आपरेटर/(बी0) प्लांट-आपरेटर/आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर/गैस कटर/टर्नर/ब्लैक स्मिथ/टिन स्मिथ/ट्रैक्शन वैटरी चार्जर/लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार/वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर/विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर/मोल्डर /लेवलरज साँ मिल कटर/केबल जाइन्टर/फोरमैन ग्रेड—।।/खलासी (8 साल से अधिक)/ट्रेसर आपरेटर/ई.एम.ई./ड्राइवर/कम्प्रेसर/रौकर शोवेल आपरेटर/स्नो कटर आपरेटर/लोको-आपरेटर/गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन/वर्क-मिस्त्री/मोटर-मेट/ट्रैक्टर ड्राइवर/टेलीफोन मकैनिक/डी.जी.सेट आपरेटर/वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—।।।.

उच्च कुशल

	रु.	रु.
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर/वर्कशाप मकैनिक ग्रेड—।/ चार्ज मैन ग्रेड—।/वर्कशाप फोरमैन ग्रेड—।/टर्नर ग्रेड—।/मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर/मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री/संरचनात्मक फिटर ग्रेड—।/सर्वेयर/ड्राफ्टसमैन/सहायक फोरमैन /मशीनिस्ट/कम्पाउन्डर (अर्हित)/रोड रोलर ड्राइवर/बुलडोजर ड्राइवर/वायरमैन/आटो इलैक्ट्रीशियन/इलैक्ट्रीशियन /कैमिकल एनालाइजर ।	553	16.590

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर/रोड इन्सपैक्टर/वर्क इन्सपैक्टर/स्टोर-कीपर/स्टोर-मुंशी/सुपरवाइजर/मीटर-रीडर/लैजर बुकिंग क्लर्क/बिल-क्लर्क/इरीगेशन बुकिंग क्लर्क/पटवारी/कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट/फैरो-प्रिंटर/ड्राइवर (जीप/कार/ट्रेक्टर)/क्लर्क/मैकेनिकल इंसपैक्टर/सहायक स्टोर कीपर/लेखा-लिपिक/स्टेनोग्राफर ।	464	13.920

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर-जन जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as under:—

Category of Workers

1	Revised Wages	
	2	3
	Rupees	Rupees
UN-SKILLED WORKERS :	400	12,000
Bhisthi/Chimini Cleaner/Chowkidar/Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar / Cleaner-Tractor & Road Roller & Concrete Mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ ea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker.		
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/Badhani/Upholster/Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/Caneman/Distemperer Grade-I/Fitter Grade-II/Flour Polisher/Stone Dresser/Mali/Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/Assistant Fireman/Assistant Welder/ Assistant Turner/Battery Charger/Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel	425	12,750

Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto Electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant
Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 2372 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 2646 per 100 cft.

SKILLED WORKERS :

Carpenter Grade-I/Mason Grade-I/Black Smith/Sanitary Fitter Grade-I/Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/Pump Operator/ Pump Driver/Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter/Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/Plumber Grade-I/Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/Asstt. Mechanic/Mixer Driver/Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter/Generator Operator/Generator Driver/Plant Shop Fitter/ Diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter /Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/Jack Hammer Fitter/Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ Refrigerator Plant Fitter/Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/Roclain Operator/ Scrapper Operator/Loader operator/ Crane Operator/Eucild operator/Wagon Drill Operator/Boaring Operator/SLD crane Operator/ B Plant Operator/Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/Black Smith/Tin Smith/Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/Khalssi/Jamadar/Winder/Blaster Driller/Winch Fitter/Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above)/Tracer Operator/E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate/Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II.

Rupees **Rupees**
464 **13,920**

HIGHLY SKILLED

Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.

Rupees **Rupees**
553 **16,590**

Clerical and non Technical Supervisory Staff

Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector/Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.

Rupees **Rupees**
464 **13,920**

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

3. लोक मोटर परिवहन

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)472/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी	400 रुपए प्रतिदिन।	12000 रुपए प्रतिमास।
(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)	400 रुपए प्रतिदिन।	12000 रुपए प्रतिमास।
(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है।		
अर्ध-कुशल	415 रुपए प्रतिदिन।	12450 रुपए प्रतिमास।

1. सहायक इलैक्ट्रीशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट

10. सहायक कुशन—मेकर
11. सहायक बोलकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई. का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
19. सहायक मोल्डर

कुशल:—

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग—वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोलस्टर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है।

रु. 453 प्रतिदिन या
रु. 13.590 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर/हैड इलैक्ट्रिशियन/गैरेज सुपर वाइजर।

रु. 503 प्रतिदिन या
रु. 15090 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप—ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक—राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग—क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट।

रु. 453 प्रतिदिन या
रु. 13590 प्रतिमास

ग्रुप—बी:

मुख्य—निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर—निरीक्षक।

रु. 477 प्रतिदिन या
रु. 14310 प्रतिमास

ग्रुप—सी:

हैड एसिस्टेंट/हैड—क्लर्क, ऑडिटर/हैड—कैशियर।

रु. 562 प्रतिदिन
रु. 16860 प्रतिमास

रनिंग स्टाफ:—

1. ड्राइवर	रु. 508 प्रतिदिन रु.15240 प्रतिमास
2. कन्डक्टर	रु. 464 प्रतिदिन रु. 13920 प्रतिमास
3. कलीनर कम कन्डक्टर	रु. 434 प्रतिदिन रु. 13020 प्रतिमास
4. पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क	रु. 278 प्रतिदिन रु. 8340 प्रतिमास

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एव विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Public Motor Transport**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01.04.2024 as under:—**

General Staff Unskilled

Rs.400 per day, Rs. 12,000 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semi-skilled

Rs. 415 per day, Rs.12,450 per month

1. Asstt. Electrician
2. Asstt. Mechanic
3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asstt. Carpenter
6. Asstt. Welder

7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asstt. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt. Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma.
19. Assistant Molders

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

**Rs. 453 per day
or Rs. 13,590 per month.**

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

**Rs. 503 per day or
Rs. 15,090 per month.**

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:**Group-A**

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

**Rs. 453 per day or
Rs. 13,590 per month.**

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

**Rs. 477 per day or
Rs. 14310 per month.**

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

**Rs. 562 per day
Rs. 16,860 per month.**

RUNNING STAFF

1. Driver
2. Conductor
3. Cleaner-cum-Conductor
4. Part-Time Booking Clerk

	Per Day	Per month
1. Driver	Rs. 508	Rs. 15,240
2. Conductor	Rs. 464	Rs. 13920
3. Cleaner-cum-Conductor	Rs. 434	Rs. 13020
4. Part-Time Booking Clerk	Rs. 278	Rs. 8340

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adultor non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II] तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और
उपलब्ध नहीं करवाई गई संयुक्त आवास, सुविधा
है। उपलब्ध करवाई गई है।

कुशल :

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार /
चपड़ासी / स्वीपर / मसालाची / गेटमैन / वाटरमैन
क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर /
मैसेंजर / क्लैकरोम अटेंडेन्ट / पोर्टर / भिश्ती /
बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई
अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रु० 400 प्रतिदिन
रुपए 12000 मासिक

रुपए 371 प्रतिदिन
रुपए 11,130 मासिक

अर्धकुशल :

हैडपोर्टर / पेंटरमैन / काफी टीमेकर /
चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर
(सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक
-आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट /
बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिस्टेंट-
हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर रूलिंग-कटिंग
औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल-गाइड
सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर /
सहायक-टर्नर / सहायक / वैल्डर सहायक-
इलैक्ट्रिशियन / सहायक-वैल्डर / सहायक-
सेल्जमैन / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन /
बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर /
वेटर / वेयरर / ऐसिस्टेंट रेडियो
मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और
चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक / सहायक
स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व
सहायक-मशीनमैन / इनक्वायरी अटेंडेन्ट /
टेलीफोन अटेंडेन्ट / आई.टी.आई प्रमाण पत्र
सर्टफिकेट धारक ।

रु० 423 प्रतिदिन तथा रु० 12690 प्रतिमाह
रु० 413 प्रतिदिन तथा रु० 12390 प्रतिमाह

कुशल:

ब्लैक स्मिथ/टिनस्मिथ/वाचमेकर/रेडियो मकैनिक/कारपेंटर/पलम्बर/ड्राइवर/सहायक टेलर/कटर(टेलरिंग)/स्टुवार्ड/जनरल मकैनिक/हलवाई कुक/कन्फैक्शनर बेकर/बटलर/फिटर/ड्राफ्टसमैन/टेलीफोन-ओपरेटर/कम्पाउंडर/गोल्डस्मिथ/शू-मेकर/शाल कारपेन्टर वीविंग/कम्पोजिटर/सिनेमा आपरेटर/सेल्जमैन/ड्राइक्लीनर/ड्रायर/बारबर/रेगुलर मशीनमैन/मशीनिस्ट/वेल्डर/मोल्डर/कैशियर/क्लर्क (मैट्रिकुलेट)/मुनीम/रिसैपशनिस्ट/वेटर/वियरर स्टोर-कीपर/हैड वेटर/हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)/लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों।	रु० 464 प्रतिदिन रु०13920 मासिक	रुपए 427 प्रतिदिन रुपए 12810 मासिक
---	------------------------------------	---------------------------------------

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट)/लेखाकार मुख्य खजानची/हैड-कुक/हैड-बटलर/हैड-बेकर/हैड-कन्फैक्शनर/हैड-मकैनिक/इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/टेलर / कटर (टेलरिंग) ।	रु० 483 प्रतिदिन रु०14490 मासिक	रु० 447 प्रतिदिन रु० 13410 मासिक
---	------------------------------------	-------------------------------------

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—

(प्रियंका बासु ईगटी),

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & Commercial Establishments**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024 as under:—**

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Rupees Rs.400 Daily Rs.12000 Monthly.	Rupees Rs. 371 Daily Rs. 11,130 Monthly
Semi-Skilled Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI Certificate Holder.	Rupees Rs.423 Daily. Rs. 12,690 Monthly.	Rupees Rs. 413 Daily Rs. 12,390 Monthly
Skilled: Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/ Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter (Tailoring)/General mechanic/Halwai/Cook/ Confectioner/Baker/Steward/Butler/Fitter/ Draughtsman/ Telephone Operator/Compounder/ Goldsmith./Shoe Maker/Shawl-CarpetWeaving/ Compositor/Cinema Operator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/Barber/Regular machine man/machinist/ Welder/ Moulder/ Cashier/Clerk/(Matric)Munim/receptionist/Waiter/ Bearer/Storekeeper/ Headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rupees. Rs.464 Daily. Rs.13,920 Monthly.	Rupees. Rs. 427 Daily Rs. 12,810 Monthly.
Highly Skilled Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring).	Rupees. Rs.483 Daily. Rs.14,490 Monthly	Rupees. Rs. 447 daily Rs. 13,410 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**— An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

5. वानिकी उद्योग

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार		
1. वृक्षों का गिराना	रुपए 400	रुपए 12000
1. लेबर (छांगी)	रुपए 423	रुपए 12690
2. फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 409	रुपए 12270
2. लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
1. ड्रेसर (पंचानी)	रुपए 409	रुपए 12270
2. सायर (चिरानी)	रुपए 503	रुपए 15090
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 473	रुपए 14190
3. दुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
1. दुलाई के लिए मजदूर	रुपए 409	रुपए 12270
2. इमारती लकड़ी को लादने और उतारने के लिए मजदूर।	रुपए 409	रुपए 12270
4. रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की दुलाई:		
1. स्पैन मिस्त्री-कम-सुपरवाइजर	रुपए 503	रुपए 15090
2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 473	रुपए 14190
5. पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फलोटींग) द्वारा दुलाई:		
1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 539	रुपए 16170
2. तारू	रुपए 517	रुपए 15510
3. असिस्टेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 483	रुपए 14490
4. दरियामैन	रुपए 517	रुपए 15510
5. घालू	रुपए 440	रुपए 13200
6. जमादार	रुपए 440	रुपए 13200
6. यंत्रिकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासी:		
1. सर्वेयर	रुपए 506	रुपए 15180
2. स्काई लाइन ऑपरेटर	रुपए 473	रुपए 14190
3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 443	रुपए 13290
4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 443	रुपए 13290
7. क्लैरिकल स्टाफ :		
1. मैनेजर	रुपए 583	रुपए 17490
2. एकाउन्टेंट	रुपए 449	रुपए 13470
3. मुन्शी/टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 409	रुपए 12270
8. सॉ मिल वर्कर :		
1. बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 473	रुपए 14190

2. सुपरवाइजर	रुपए 467	रुपए 14010
3. हैड मिस्ट्री	रुपए 473	रुपए 14190
4. बॉयलर ड्राइवर	रुपए 473	रुपए 14190
5. एसिसटेंट मिस्ट्री	रुपए 415	रुपए 12450
6. पलेनर मिस्ट्री	रुपए 415	रुपए 12450
7. हैल्पर	रुपए 409	रुपए 12270
8. कटर मैन	रुपए 409	रुपए 12270
9. कथा निकासी :		
1. फ़ैलर तथा चिप्पर	रुपए 409	रुपए 12270
2. कथा सुपरवाइजर/कथा प्रौसेसर	रुपए 409	रुपए 12270

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी)

ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 553 दैनिक

रुपए 16590 मासिक

टिप्पणी:—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए

कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित /—
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

5. FORESTRY INDUSTRIES

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1. Felling of trees:	Rs. 400	Rs. 12,000
1. Lopper (Changi)	Rs. 423	Rs. 12,690
2. Feller (Garani)	Rs. 409	Rs. 12,270
2. Logging and sawing including timber passing:		
1. Dresser (Panchani)	Rs. 409	Rs. 12,270
2. Sawyer (Charani)	Rs. 503	Rs. 15,090
3. Blacksmith	Rs. 473	Rs. 14,190
3. Carriage, stacking and timber passing by manual labour:		
1. Mazdoor for carriage	Rs. 409	Rs. 12,270
2. Mazdoor for loading and unloading of timber	Rs. 409	Rs. 12,270
4. Carriage of timber by Aerial ropeways :		
1. Span Mistry-cum-Supervisor	Rs. 503	Rs.15,090
2.Span Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190
5. Carriage by water slide (Pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bahaan and Darya Bahaan (River floating):		
1. Mohri-wala Mistry	Rs. 539	Rs. 16,170
2. Taru	Rs. 517	Rs. 15,510
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 483	Rs. 14,490
4. Darya-man	Rs. 517	Rs. 15,510
5. Ghalu	Rs. 440	Rs. 13,200
6. Jamadar	Rs. 440	Rs. 13,200
6. Mechanised logging and timber extraction:		
1. Surveyor	Rs. 506	Rs. 15,180
2. Ski-line Operator	Rs. 473	Rs. 14,190
3. Truck Driver	Rs. 443	Rs. 13,290
4. Compressor Driver	Rs. 443	Rs. 13,290
7. Clerical Staff:		
1. Manager	Rs. 583	Rs. 17,490
2. Accountant	Rs. 449	Rs. 13,470
3. Munshi/ Typist clerk	Rs. 409	Rs. 12,270
8. Saw Mill Workers:		
1. Band Saw Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190
2. Supervisor	Rs. 467	Rs. 14,010
3. Head Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190
4. Boiler Driver	Rs. 473	Rs. 14,190
5. Assistant Mistry	Rs. 415	Rs. 12,450
6. Planner Mistry	Rs. 415	Rs. 12,450
7. Helper	Rs. 409	Rs. 12,270
8. Cutter man	Rs. 409	Rs. 12,270
9. Katha Extraction:		
1. Feller and Chipper	Rs. 409	Rs. 12,270

2. Katha Supervisor/Katha Processor

Rs. 409

Rs. 12,270

Highly SkilledBoiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= **Rs. 553 Daily. Rs. 16,590 Monthly.****NOTE:—**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम दरें

अकुशल:

दैनिक	मासिक
रुपए 400	रुपए 12000

अर्धकुशल:

दैनिक रुपए	मासिक रुपए
413	12390

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-1, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर, हैगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

कुशल:

दैनिक रुपए	मासिक रुपए
464	13920

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिसटेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-1, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिसटेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर। आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं।

उच्च-कुशल:

दैनिक रुपए	मासिक रुपए
553	16590

बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी), ओवर सीयर, हैड फोरमैन

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Unskilled

Revised minimum rates

Rs. 400 Daily

Rs. 12,000 Monthly

Semi Skilled

Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.

Rs. 413 Daily

Rs. 12,390 Monthly

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 464 Daily

Rs. 13,920 Monthly

Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman

Rs. 553 Daily

Rs. 16,590 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

7. इंजीनियरिंग उद्योग

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल:	दैनिक रुपए	मासिक रुपए
	400	1200
अर्ध-कुशल:		
टेपर ग्रेड-III, टर्नर ग्रेड-III, ड्रिलर ग्रेड-III, रोमर ग्रेड-III, शेयर मैन ग्रेड-III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड-III, ब्रजर ग्रेड-III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/लाइनर ग्रेड-III, प्रैस आपरेटर ग्रेड-III, स्प्रे पेंटर ग्रेड-III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-III, असैम्बलर ग्रेड-III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड-III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सेंडर, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-III, मोपर ग्रेड-III, ग्राइंडर ग्रेड-III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड-III, थ्रैड/रोलर आपरेटर ग्रेड-III, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड-III, फीडर ग्रेड-III, डाइमेकर ग्रेड-III, वैल्डर ग्रेड-III, टिनस्मिथ ग्रेड-III, पाइपरीडर, हेमरैन ग्रेड-III, इलैक्ट्रिक लाईनमैन ग्रेड-III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड-III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-III, ऑयलमैन।	रुपए 413	रुपए 12390
कुशल:		
टेपर ग्रेड-II, टर्नर ग्रेड-II, ड्रिलर ग्रेड-II, शेपर ग्रेड-II, शेपर मैन ग्रेड-II, सलाटरमैन ग्रेड-II, मकैनिस्ट आपरेटर/ब्रजर ग्रेड-II, लाईनर ग्रेड-II, स्प्रे पैंटर ग्रेड-II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड-II, प्रैस आपरेटर ग्रेड-II, असैम्बलर ग्रेड-II, टेलर ग्रेड-II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-II, मोपर ग्रेड-II, ग्राइंडर ग्रेड-II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-II, थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-II, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड-II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-II, फिटर ग्रेड-II, कारपेंटर/पैट रन मेकर ग्रेड-II, डाईमेकर ग्रेड-II, साइस्टर ग्रेड-II, वैल्डर ग्रेड-II, टिनस्मिथ ग्रेड-II, हेमरमैन ग्रेड-II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-II, टूलसैटर ग्रेड-II, इलैक्ट्रिकल लाईनमैन ग्रेड-II, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II, आरमैचर वाईडर और कॉईल वाईडर ग्रेड-II, केबल ज्वाईटर ग्रेड-II, वाऊचर इन्सपैक्टर ग्रेड-II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-II, मोल्डर ग्रेड-II, सुपरवाइजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।	रुपए 464	रुपए 13920
उच्च कुशल:-		
टर्नर ग्रेड-I, ग्राईडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड-I, शेपर मैन ग्रेड-I, सलाटरमैन ग्रेड-I, मिलर ग्रेड-I, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-I, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-I, फिटर ग्रेड-I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड-I, डाईमेकर ग्रेड-I, एन्ग्रेवर ग्रेड-I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-I, डाईसैटर ग्रेड-I, टूल सैटर ग्रेड-I, इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-I।	रुपए 553	रुपए 16590
क्लेरिकल स्टाफ:		
कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर	रुपए	रुपए

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled

**Rs. 400 Daily or
Rs. 12,000 Monthly**

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III,

**Rs. 413 Daily or
Rs.12,390 Monthly**

Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Skilled

Rs. 464 Daily
Rs. 13,920 Monthly

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Mooper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil Winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I.

Rs. 553 Daily
Rs.16,590 Monthly

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 429 Daily
Rs.12,870 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous

experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग**संशोधित न्यूनतम मजदूरी**

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़ने, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट –छांट करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।

रुपए

रुपए

400 दैनिक

12000 मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 29 रुपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 22 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे 17 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के –‘ए’, ‘बी व ‘सी’ ग्रेड के लिए 29 रुपए, 22 रुपए और 17 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्द्ध-कुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधारोपण में लगाए गए कर्मकारों को 407 रुपए प्रतिदिन, 12210 रुपए प्रतिमास मिलेंगे।

कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, रुपए टी ब्याज, सार्टज, टी-मेकर्स, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

रुपए 400 दैनिक और
रुपए 1200 मासिक

प्लांटेशन :

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे।

रुपए 400 दैनिक
रुपए 12000 मासिक

क्लैरिकल और नॉन-टैक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ

- लेखाकार रुपए 611 प्रतिदिन रुपए 18330 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास
- लिपिक रुपए 464 प्रतिदिन रुपए 13920 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास

3.	मुन्शी	रुपए 487 प्रतिदिन रुपए 14610 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।		
4.	चपरासी/ चौकीदार/ चौधरी	रुपए 407 प्रतिदिन रुपए 12210 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।		
			दैनिक	मासिक
5.	कम्पाउन्डर		रुपए 567	रुपए 17010
6.	ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर)		रुपए 508	रुपए 15240
7.	मकैनिक		रुपए 571	रुपए 17130
8.	असिस्टैन्ट मकैनिक		रुपए 506	रुपए 15180
9.	इलैक्ट्रिशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -।		रुपए 571	रुपए 17130
10.	इलैक्ट्रिशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -।।		रुपए 506	रुपए 15180

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/ की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) **अकुशल.**-अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण

निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

8. TEA PLANTATION

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation.

Revised Minimum Wages

**Rs. 400 Daily or
Rs. 12,000 Monthly**

A-Grade Leaves.— If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 29 per kilogram extra as incentive.

B-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 22 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 17 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 29 Rs. 22 Rs. 17 per kilogram for A, B, C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations **Rs. 407** per day, **Rs. 12210** per month.

FACTORY:

Include lift Mazdoor, Withering Mazdoor,
Relling room workers, Shifting Mazdoor,
Fermenting room workers, Tea boys,
Sorters, Tea makers, Time keeper and Carriers (jhalli)

Rs. 400 daily
Rs. 12,000 Monthly

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant,
Muharirs etc. who maintain records of a field work
and also includes sweeper, Mali & Mate.

Rs. 400 daily
Rs. 12,000 Monthly

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 611	Rs. 18,330 per month plus free accommodation.	
2. Clerks	Rs. 464	Rs. 13,920 per month plus free accommodation.	
3. Munshi	Rs. 487	Rs. 14,610 per month plus free benefits as admissible to clerk.	
4. Peon , Chowkidar/Chaudhary	Rs. 407	Rs. 12,210 per month plus free benefit as admissible.	
5. Compounder		Daily Rs. 567	Monthly Rs. 17010
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)		Rs. 508	Rs. 15,240
7. Mechanic		Rs. 571	Rs. 17,130
8. Assistant Mechanic		Rs. 506	Rs. 15180
9. Electrician-cum-Mechanic Grade-I		Rs. 571	Rs. 17,130
10. Electrician-cum-Mechanic Grade-II		Rs. 506	Rs. 15180

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Sd/
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा-2 के खण्ड-ट में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018.पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार

रुपए 400 प्रतिदिन या रुपए 12000 प्रतिमास

अर्द्ध-कुशल

रुपए 412 प्रतिदिन या रुपए 12360 प्रतिमास

कुशल और लिपिकीय
कर्मचारिवृन्द (स्टाफ)

रुपए 464 प्रतिदिन या रुपए 13920 प्रतिमास

उच्च कुशल

रुपए 553 प्रतिदिन या रुपए 16590 प्रतिमास

टिप्पणी:—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) **अकुशल**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल**: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल**: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Unskilled Workers	Rs. 400 P.D. or Rs. 12,000 per month
Semi-skilled	Rs. 412 P.D. or Rs. 12,360 per month
Skilled & clerical staff	Rs. 464 P.D. or Rs. 13,920 per month
Highly-Skilled	Rs. 553 P.D. or Rs. 16,590 per month

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

10. होटल और रैस्टोरेंट

संख्या : **Shram(A)4-1/2024.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जहां संयुक्त और खाना, चाय आदि की प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

हैल्पर/चौकीदार/चपरासी/स्वीपर/मसालची/गेटमैन/वाटरमैन/मसेंजर/क्लाकरूम अटैंडेंट/पोटर/भिश्ती/बेलदार/फायरमैन/पांडी/पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो।

रुपए 400 दैनिक

रुपए 371 दैनिक

रुपए 12000 मासिक

रुपए 11130 मासिक

अर्धकुशल कर्मकार

पैट्रीमैन/काँफी-टी मेकर/चपातीमैन/सहायक बेकर/कुक/सहायक हलवाई/बुक बाईंडर स्टिचर/रूलिंग कटिंग/ऑक्शनर/माली/होटल गाईड/असिस्टेंट मिस्त्री/असिस्टेंट फिटर/सीवरमैन/असिस्टेंट टर्नर/असिस्टेंट वैल्डर/असिस्टेंट ईलैक्ट्रिशियन/असिस्टेंट सेल्जमैन/असिस्टेंट बारबर/धोबी/प्रेसमैन/बॉयलरमैन/फिल्म रिवाईंडर/वाटरवीअरर/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/पेंटर/व्हाइट वॉशर/पकौड़ा और चना मेकर/क्लर्क (नॉनमैट्रिक)/असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट मशीनमैन/इनक्वायरी एटैन्डेन्ट/टेलीफोन एटैन्डेन्ट/आई0टी0आई0 प्रमाण धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है।

रुपए 423 प्रतिदिन

रुपए 388 प्रतिदिन

रुपए 12690

रुपए 11640

मासिक

मासिक

कुशल कर्मकार:

ड्राइवर/हलवाई/कुक/कन्फैक्शनर/बेकर/स्टी वार्ड/बटलर/ड्राफ्टसमैन/टेलीफोन ऑपरेटर/रिसैपशनिस्ट/वेटर/वेयरर/स्टोर कीपर/हैड वेटर/हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।

रुपए 464 दैनिक

रुपए 427 दैनिक

रु० 13920 मासिक

रु. 12810 मासिक

उच्च कुशल:

स्टोर कीपर/क्लर्क (ग्रेजुएट)/अकाउंटेंट/ हैड	रु. 483 दैनिक	रु. 447 दैनिक
खजानची/ हैड-कुक/ हैड-बटलर/ हैड-बेकर/	रु. 14490 मासिक	रु.13410 मासिक
हैड-कन्फैक्शनर/ हैड-मकैनिक/ इलैक्ट्रिशियन/		
फोरमैन/सुपरवाइजर/ टेलर/ कटर (टेलरिंग)।		

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल**: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
(प्रियंका बासु ईगटी),
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hotel and Restaurants**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

Revised Wages

Category of Workers	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
Un-Skilled:		
Helper/Chowkidar/Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/Poter/Bhishti/Beldar/Fireman/ Pandi/Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 400 Daily	Rs. 371 Daily
	Rs. 12,000 Monthly	Rs. 11,130 Monthly
Semi-Skilled Worker:		
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/ Cook/ Assistant	Rs. 423 Daily	Rs. 388
	Rs. 12,690 Monthly	Rs. 11,640 Monthly

Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/
Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant
Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant
Turner /Assistant Welder/ Assistant
Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant
Barber/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/Film
Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio
Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and
Chana Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant
Store Keeper/Distributor and Assistant
Machinman/ Enquiry Attendant/ Telephone
Attendant/ ITI certificate holder who are
working in the other trade.

Skilled Workers :

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/Stew
ard/Butler/Draughtsman/TelephoneOperator/
Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head
Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.)
ITI certificate holder who are working in the
same trade.

Rupees.**Rs. 464 Daily****Rupees.****Rs. 427 Daily****Rs. 13,920 Monthly.****Rs. 12,810 Monthly.****Highly Skilled**

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant
/Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head
Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/
Electrician/ Foremen/ Supervisor./
Tailor/Cutter (Tailoring)

Rupees.**Rs. 483 Daily****Rupees.****Rs. 447 Daily****Rs. 14,490 Monthly****Rs. 13,410 Monthly****NOTE:—**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper

discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018.पी.II तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रु 400 प्रतिदिन या रु 12000 प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	रु 423 प्रतिदिन या रु 12690 प्रतिमाह
कुशल	रु 464 प्रतिदिन या रु 13920 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रु 483 प्रतिदिन या रु 14490 प्रतिमाह

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/—

(प्रियंका बासु ईगटी),

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2024** ;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled Workers	Rs. 400 per day or Rs. 12,000 per month
Semi-skilled	Rs. 423 per day or Rs. 12,690 per month
Skilled	Rs. 464 per day or Rs. 13,920 per month
Highly skilled	Rs. 483 per day or Rs 14,490 per month

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act,1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

संख्या : **Shram(A)4-1/2024.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटैन्डेन्ट, जनरेटर अटैन्डेन्ट, टीएम अटैन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर -कम-बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाइल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्वोरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेन्ट, जनरेटर अटैन्डेन्ट, लोकोमोटिव अटैन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटैन्डेन्ट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोरेट्री सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैन्डेन्ट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटैन्डेन्ट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर,

न्यूनतम
दैनिक

₹. 400

मजदूरी मासिक

₹.12000

₹. 425

₹. 12750

कनिष्ठ स्क्रैपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट अटैन्डेंट, कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, माली ।

कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनेरेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कलर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

₹. 464

₹.13920

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट, खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव) ।

₹. 553

₹.16590

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।

5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ौतरी लागू होगी।

मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना उक्त दिए गए उदाहरण के अनुसार होगी:

	कामगार का वर्ग	मजदूरी की न्यूनतम दर (प्रतिदिन) (रु०)	गैर-आदिवासी क्षेत्रों में स्थित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में 25% वृद्धि की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)	कॉलम संख्या 3, 4 के अनुसार कुल मजदूरी बनी (प्रतिदिन) (रु०)	कॉलम संख्या 5 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों के ऊपर 20% सुरंग भत्ता की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)	न्यूनतम मजदूरी की कुल स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)
(क)	अकुशल	400	100	500	100	600
(ख)	अर्ध-कुशल	425	106	531	106	637
(ग)	कुशल	464	116	580	116	696
(घ)	अत्यधिककुशल	553	138	691	138	829

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल**: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल**: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2, the 23rd September, 2024

12. Hydro Power Projects

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers

UN-SKILLED WORKERS :

Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator, Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber,

Minimum Wages

Daily	Monthly
Rs.	Rs.
400	12,000
425	12,750

Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator, Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Electrician, Mali

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Motoer Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience) and Dhobi. **464** **13,920**

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience). **553** **16,590**

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:—

	Category of Worker	Minimum Rates of Wages (per day) (Rs.)	Admissibility of 25% increase in Under-Construction Hydro Electric Power Projects Located in Non-Tribal Areas (per day) (Rs.)	Total Wages arrived at as per column no. 3+4 (per day) (Rs.)	Admissibility of 20% Tunnel Allowance over and above the Minimum Rates of Wages as per the column no. 5 (per day) (Rs.)	Total admissibility of Minimum Wages (per day) (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	Unskilled	400	100	500	100	600
(B)	Semi-Skilled	425	106	531	106	637
(C)	Skilled	464	116	580	116	696
(D)	Highly-Skilled	553	138	691	138	829

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018.पी.II तारीख 24-04-2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार	न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपींग हैल्पर, चपरासी। अर्ध-कुशल कर्मकार :-	रु. 400	रु. 12000
तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेंटिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेड।	रु. 413	रु. 12390
कुशल कर्मकार :-		
ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाइजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।	रु. 464	रु. 13920
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव, बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी केमिस्ट और स्टेनो ग्राफर।	रु. 553	रु. 16590

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ाव लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Daily	Wages Monthly
Unskilled: Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi Skilled: Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 413	Rs. 12,390
Skilled: Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464	Rs. 13,920
Highly Skilled: Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.	Rs. 553	Rs. 16,590

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा
उपलब्ध नहीं
करवाई गई है

जहां भोजन, चाय और
संयुक्त आवास सुविधा
उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वॉच मैन्, चपरासी, रूम ब्वाय, आफिस ब्वाय और मसालची।

रु. 400 दैनिक
रु. 12000 मासिक

रु. 371
रु. 11130 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

क्लीनिक अटेन्डेंट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीसटेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेंट, वार्ड ब्वाय / वार्ड अटेन्डेंट (0 से 3 वर्ष सर्विस)

रु. 423 दैनिक
रु. 12690 मासिक

रु. 387 दैनिक
रु. 11610 मासिक

कुशल कर्मकार :-

रिसंपमैनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लैबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर, ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट, चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट, स्टोर कीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाईजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर सर्विस)।

रु. 464 दैनिक
रु. 13920 मासिक

रु. 427 दैनिक
रु. 12810 मासिक

उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाईजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर।

रु. 483 दैनिक
रु. 14490 मासिक

रु. 447 दैनिक
रु. 13410 मासिक

टिप्पणी:—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd september, 2024

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un-skilled Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masalchi.	Rs. 400 Daily 12,000 Monthly	Rs. 371 Daily 11,130 Monthly
Semi-Skilled Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Ward Boy and Ward Attendant (0-3 Years Experience)	Rs. 423 Daily. 12690 Monthly	Rs. 387 Daily. 11,610 Monthly
Skilled: Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)	Rs. 464 Daily 13,920 Monthly	Rs. 427 Daily 12,810 Monthly

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder, Accountant and Stenographer	483 Daily 14,490 Monthly	447 Daily 13,410 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

15. घरेलू कामगार

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कामगार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल कर्मकार:- हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन	रु. 400 दैनिक रु. 12000 मासिक	रु. 338 दैनिक रु. 10140 मासिक
अर्ध- कुशल कर्मकार :- सिक्वोरिटी गार्ड, माली	रु. 423 दैनिक रु. 12690 मासिक	रु. 351 दैनिक रु. 10530 मासिक
कुशल कर्मकार :-		
कुक और चालक	रु. 464 दैनिक रु. 13920 मासिक	रु. 373 मासिक रु. 11190 मासिक

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2, the 23rd september, 2024

15. Domestic Workers

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and Washer man	400 Daily 12,000 Monthly	338 Daily 10,140 Monthly
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	423 Daily. 12,690 Monthly	351 Daily, 10,530 Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	464 Daily 13,920 Monthly	373 Daily 11,190 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मचारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II] तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मचारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारों के प्रवर्ग
अकुशल कर्मकार:-

न्यूनतम मजदूरी
दैनिक मासिक

स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन

रु. 400 रु. 12000

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।

रु. 413 रु. 12390

कुशल कर्मकार :-

चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।

रु. 464 रु. 13920

उच्च कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर और स्टेनो ग्राफर

रु. 553 रु. 16590

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ाव लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

16. Safai Karamchari Employment

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman.	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi-Skilled Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 413	Rs. 12,390
Skilled Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs 464	Rs. 13,920
Highly Skilled Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer	Rs. 553	Rs. 16,590

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

17. सुरक्षा सेवाएं

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
हेल्पर और वॉच मैन ।	रु. 400	रु. 12000
अर्ध-कुशल कर्मकार:-		
सिक्वोरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट ।	रु. 413	रु. 12390
कुशल कर्मकार :-		
सिक्वोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रु. 464	रु. 13920
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सिक्वोरिटी ऑफिसर, सिक्वोरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट	रु. 553	रु. 16590

टिप्पणी:—

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।

6. गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:** अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

17. Security Services

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

	Daily	Monthly
Un-Skilled Helper and Watchman	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi skilled Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 413	Rs. 12,390
Skilled Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464	Rs. 13,920
Highly Skilled Security Officer, Security Manager, Stenographer and Accountant.	Rs. 553	Rs. 16,590

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.

7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Skilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल कर्मकार :-		
चपडासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।	रु. 400 दैनिक रु. 12000 मासिक	रु. 371 दैनिक रु. 11130 मासिक
अर्ध-कुशल कर्मकार :		
चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट ।	रु. 423 दैनिक रु. 12690 मासिक	रु. 413 दैनिक रु. 12390 मासिक
कुशल कर्मकार:-		
वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रु. 464 दैनिक रु. 13920 मासिक	रु. 427 दैनिक रु. 12810 मासिक
उच्च कुशल कर्मकार:-		
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।	रु. 483 दैनिक रु. 14490 मासिक	रु. 447 दैनिक रु. 13410 मासिक

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Temples and Religious Places/Dharamshalas**”

may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	Rs. 400 Daily 12,000 Monthly	Rs. 371 Daily 11,130 Monthly.
Semi-Skilled Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 423 Daily 12,690 Monthly	Rs. 413 Daily 12,390 Monthly
Skilled: Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464 Daily 13,920 Monthly	Rs. 427 Daily 12,810 Monthly
Highly Skilled Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer, Stenographer, and Accountant.	Rs. 483 Daily. 14,490 Monthly	Rs. 447 daily 13,410 Monthly.

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची	रु. 400	रु. 12000
अर्ध-कुशल कर्मकार :-		
कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।	रु.413 प्रतिदिन	रु.12390 प्रतिमाह
कुशल कर्मकार :-		
इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रु.464 प्रतिदिन	रु.13920 प्रतिमाह
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट	रु.553 प्रतिदिन	रु.16590 प्रतिमाह

टिप्पणी:--

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए

कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2024

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And w
hereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers : Peon, Office Boy and Masalchi.	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi-skilled:- Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant.	Rs. 413 per day or Rs. 12,390 per month	
Skilled:- Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464 per day or Rs. 13,920 per month	
Highly-Skilled:- Supervisor, Superintendent, Stenographer and Accountant.	Rs. 553 per day or Rs. 16,590 per month	

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab. Emp. & O.P.).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 30th September, 2024

No. SEC(F)1-35/2022-4015.—Whereas the State Election Commission had issued programme for the conduct of bye-elections of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the State *vide* notifications dated 31-08-2024 and 03-09-2024;

And whereas the State Election Commission had enforced Model Code of Conduct in the territorial jurisdiction of those Panchayats and concerned Municipalities where bye-elections were scheduled on 29-09-2024;

And whereas the election results have been declared and election process has been completed in all respect;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Articles, 243K, 243ZA of the Constitution of India and Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, Section 9 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and Section 281 of H.P. Municipal Act, 1994 hereby lifts Model Code of Conduct with immediate effect.

By order,
Sd/-
(ANIL KUMAR KHACHI),
State Election Commissioner
Himachal Pradesh.